रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1994/फाल्गुन 10, 1915
No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1994/PHALGUNA 10, 1915

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1994

सा. का. नि. 288(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1994 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 के नियम 3 में संक्षेपण व अंक "7300-100-7600 रुपये" के स्थान पर संक्षेपण व अंक "7300–200–7500–250–8000 रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं.–ए. 11014/3/93–प्र. अधि.]

श्रीमति सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम दिनांक 21 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 1157(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में दिनांक 30 जनवरी, 1992 के सा. का. नि. अधिसूचना सं. 71(ई) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1994

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, for the abbreviation and figures "Rs. 7300-100-7600", the abbreviation and figures "Rs. 7300-200-7500-250-8000" shall be substituted.

[No. A. 11014/3/93-AT]

SMT. SARITA PARSAD, Jt. Secy.

Foot note :—The Principal Rules were published vide GSR 1157(E), dated the 21st October, 1986 in the Gazette of India and subsequently amended vide notification No. GSR 71(E), dated 30th January, 1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994